

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर

सीमित निविदा आमंत्रण

जयपुर परिसर द्वारा दिनांक 26.2.2023 से 28.2.2023 तक आयोजित होने वाले युवा समारोह के लिए कैटरिंग (भोजन, जलपान आदि) की व्यवस्था के लिए सीमित निविदा आमंत्रित की जाती हैं। अतः इच्छुक व्यक्ति / फर्म संलग्न नियम एवं शर्तों का अवलोकन करते हुए तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग अलग लिफाफों में दिनांक 10.02.2023 को दोपहर 12.00 बजे तक कार्यालय में प्रस्तुत करें। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। नियम एवं शर्तों का अवलोकन एवं निविदा फार्म परिसर की साईट से डाउनलोड किये जा सकते हैं।

निदेशक

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, त्रिवेणी नगर, जयपुर

सीमित निविदा आमंत्रण

कार्य का नाम	युवा समारोह हेतु कैटरिंग(भोजन,जलपान व्यवस्था) कार्य	संलग्न विवरण के अनुसार
युवा समारोह की दिनांक	दिनांक 26.2.2023 से 28.02.2023 तक का कैटरिंग कार्य	
अनुमानित बजट	7,50,000 /—	
बयाना राशि	15000 /—का ड्राफ्ट जो कि केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर के नाम हो ।	
सिक्योरिटी डिपोजिट	जिस फर्म को निविदा दर स्वीकृत होगी उस फर्म को स्वीकृत दर का 5 प्रतिशत का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि आदेश जारी होने के तीन दिवस के अंदर जमा करवाना होगा ।	
अंतिम तिथि एवं दिनांक	10.02.2023 12.00 बजे तक	
निविदा खोलने की दिनांक एवं समय	10.02.2023 3.00 बजे	

निदेशक

## केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर

### नियम एवं शर्तें

1. युवा समारोह जो कि दिनांक 26 से 28 फरवरी-2023 को आयोजित किया जाना प्रस्तावित है के लिए खान पान सेवायें (सुबह का नाश्ता ,चाय, दोपहर का भोजन एवं रात्रि का भोजन ) आवश्यक है । (इस समारोह में भाग लेने के लिए एक दिन पूर्व दिनांक 25 को छात्र बाहर से आ जायेंगे तथा एक दिन बाद तक अर्थात दिनांक 01.03.2023 को प्रस्थान करेंगे ) । अतः व्यवस्था एक दिन पूर्व से प्रारम्भ करनी होगी ।
2. युवा समारोह के लिए लगभग 400 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की संभावना है ।
3. ब्याना राशि 15000/-रूपये अनुमानित राशि का लगभग 2 प्रतिशत का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि 'केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर' के नाम से हो, जमा करवाया जाना आवश्यक है । डिमाण्ड ड्राफ्ट के साथ निम्नांकित दस्तावेज संलग्न किया जाना आवश्यक है । असफल निविदादाता द्वारा जमा करवाये गये ड्राफ्ट लौटा दिये जायेंगे ।

ए-फर्म /व्यक्ति के पास फूड लाईसेन्स का प्रमाण पत्र

बी-फर्म/व्यक्ति का जी एस टी रजिस्ट्रेशन नम्बर

सी-फर्म/व्यक्ति का पैन नम्बर

- 4.फर्म के पास पिछले तीन वर्षों में टर्नओवर 10 लाख रूपये का होना चाहिए। इसके लिए पिछले तीन वर्षों की आडिट अकाउन्ट /इनकम टैक्स रिटर्न संलग्न करनी होगी।
- 5.सफल निविदा दाता को 5 प्रतिशत सिक्योरिटी राशि (स्वीकृत दर का पाँच प्रतिशत) निविदा खुलने एवं आदेश जारी होने के तीन दिवस में डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के नाम से हो, जमा करवाया जाना आवश्यक है
- 6.फर्म द्वारा मिठाई बनाने के लिए ब्रांडेड देसी घी (सरस/अमूल) तथा ब्रांडेड वनस्पति मूँगफली तेल का उपयोग किया जाना होगा ।
- 7.आगन्तुकों को भोजन खिलाने के लिए परिसर द्वारा बताये गये निर्धारित स्थान पर बैठने के लिए स्थान उपलब्ध करवाया जायेगा ।
8. भोजन खिलाने के लिए टेबिल मय कवर परिसर द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी ।
9. भोजन के लिए उपयोग की जाने वाली प्लेट मैलामाईन अथवा उससे उच्च क्वालिटी की प्लेट में खाना खिलाना होगा । तथा साथ में अच्छी गुणवत्ता वाले पेपर नेपकीन होना आवश्यक है । भोजन परोसने /खाने के लिए अच्छी क्वालिटी की स्टील चम्मच , कटोरी आदि उपलब्ध करवानी होगी फर्म द्वारा उपलब्ध करवाये गई प्लेट ,चम्मच की क्वालिटी उचित स्तर की नहीं होने पर स्वीकृत दर का 10 प्रतिशत पेनेल्टी की कटौती की जायेगी ।
- 10.खाने वाले स्थान पर पर्याप्त मात्रा में मिनल वाटर एवं डिसपोजल गिलास एवं कैम्पर मय डिसपेंसर उपलब्ध करवाने होंगे ।
11. फर्म के पास कम से कम तीन से पाँच वर्षों के खान पान सेवायें संचालित करने का अनुभव भी होना आवश्यक है । न्यूनतम 1000 से 1500 लोगों के लिए दीक्षांत समारोह /सरकारी समारोह (विवाह समारोह नहीं) में भोजन की व्यवस्था आदि का प्रमाण पत्र होना चाहिए ।

- 12.यदि फर्म को किसी संस्था द्वारा उनके कार्य के लिए (खाने एवं सेवाओं की गुणवत्ता के लिए के लिए ) सम्मानित किया गया है तो उसका प्रमाण पत्र संलग्न करें ।
- 13 फर्म द्वारा भोजन तैयार करने एवं परोसने के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना होगा ।
- 14.भोजन को पूरा करने, परोसने के लिए पर्याप्त मात्रा में वेटर ,सहायक, पर्यवेक्षक का होना आवश्यक है ।
- 15.बूफे सेट पर्याप्त संख्या में होने चाहिए तथा निर्धारित स्थान पर झूठी प्लेटों को रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में बाल्टी का होना आवश्यक है ।
- 16.फर्म द्वारा पर्याप्त मात्रा में भोजन तैयार किया जाना आवश्यक है ।
- 17.भोजन को प्रारम्भ करने से पूर्व निर्धारित न्यूनतम संख्या में भोजन थाली निर्धारित स्थान पर रखा जाना आवश्यक है ।
- 18.भोजन थाली की गणना के लिए परिसर द्वारा नाश्ता, दोपहर का भोजन एवं रात्रि के भोजन के लिए आगन्तुकों को टोकन उपलब्ध करवाये जायेंगे । जिनकी गणना के अनुसार ही नाश्ता, दोपहर का भोजन एवं रात्रि के भोजन का भुगतान देय होगा ।
- 19.आग लगने तथा कच्चे माल /तैयार माल सामग्री की चोरी के संबंध में सभी सुरक्षा उपाय करने होंगे
- 20.जी एस टी /टीडी एस या कोई अन्य कटौती नियमानुसार की जायेगी ।
- 21.फर्म का किचन/कार्यालय जयपुर में स्थित होना चाहिए । समिति के सदस्य सुविधाओं का दौरा कर सकते हैं, और उपलब्ध सुविधाओं से संतुष्ट होना चाहिए । यदि समिति के सदस्य उपलब्ध किचन/कार्यालय से संतुष्ट नहीं होते हैं तो समिति के सदस्यों को निविदा को अस्वीकार करने का अधिकार होगा ।
- 22.भोजन सामग्री के परोसने के दौरान अनावश्यक देरी होने पर जुर्माना खंड जी एफ आर के अनुसार लागू होता है जो कार्य आदेशों के 10 प्रतिशत तक होगा
23. बिन्दु संख्या 3 एवं 4 में उल्लिखित आवश्यक दस्तावेज के बिना बोलियों पर विचार नहीं किया जायेगा । तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग अलग लिफाफों में प्रस्तुत करें ।
24. नाश्ता, दोपहर का भोजन एवं रात्रि के भोजन टोकन प्रस्तुत करने पर ही खिलाना होगा तथा नाश्ता एवं भोजन आदि टोकन की गणना के अनुसार भुगतान किया जायेगा ।
- 25.दिनांक 01.03.2023 को पैकिंग हेतु पैकेट की संख्या पूर्व में सूचित कर दी जायेगी । यह कम या अधिक हो सकती है । जिसकी सूचना एक दिन पूर्व में दे दी जायेगी
26. फर्म द्वारा उपलब्ध करवाये गई प्लेट ,चम्मच की क्वालिटी उचित स्तर की नहीं होने पर स्वीकृत दर का 10 प्रतिशत पेनेल्टी की कटौती की जायेगी ।
27. भोजन की गुणवत्ता उचित नहीं पाये जाने पर स्वीकृत दर का 30 प्रतिशत कटौती की जायेगी ।
28. किसी भी विवाद की स्थिति में परिसर द्वारा निर्धारित समिति का निर्णय अंतिम होगा ।

हस्ताक्षर

निविदादाता मय फर्म सील

नाम.....

पता.....

मोबाईल नम्बर.....

## वित्तीय निविदा

युवा समारोह दिनांक 26.2.2023 से 26.02.2023 हेतु नाश्ता, एवं भोजन हेतु दरें ।

क्र.सं.	विवरण	दर
01	नाश्ता प्रति व्यक्ति	
02	दोपहर भोजन, व्यक्ति	
03	रात्रि भोजन, व्यक्ति	
04	चाय एवं बिस्कुट, प्रति व्यक्ति	
05	भोजन के पैकेट, व्यक्ति	
	कुल योग	
	कुल योग (क्रम संख्या 1 से 5)	

हस्ताक्षर

फर्म का नाम एवं पता मय सील .....

मोबाईल नम्बर .....

दिनांक 26.2.2023 से 26.2.2023 तक आयोजित होने वाले युवा समारोह के लिए भोजन का विवरण

क्र. सं.	दिनांक	विवरण	भोजन का विवरण	संख्या
01	25.02.2023	दोपहर का भोजन 1.00 बजे	दाल रोटी ,चावल सब्जी –सीजनल, रसगुल्ला, सलाद अचार	150
02	25.02.2023	रात्रि भोजन 8.00 बजे	अरहर दाल, रोटी,चावल,सब्जी (सीजनल)अचार फ्राईम्स, सलाद बर्फी	350
03	26.02.2023	नाश्ता प्रातः7.30 से 8.30 बजे	छोले पूड़ी एवं चाय	300
04	26.02.2023	समय 11.00 बजे	चाय एवं बिस्कुट	400
05	26.02.2023	दोपहर का भोजन 1.00 बजे से	मटर –पनीर की सब्जी, दाल मक्खनी,जीरा राईस मिक्स वैज ,रोटी, पूड़ी, मूँग दाल का हलवा अचार, फ्राईम्स , सलाद (खीरा,गाजर,टमाटर आदि)	400
06	26.02.2023	अपराहन 4.00 बजे	चाय एवं बिस्कुट	400
07	26.02.2023	रात्रि का भोजन 8.00 बजे	पीली दाल, चावल, रोटी, पुड़ी, सीजनल सब्जी(पत्ता गोभी,मटर, गाजर) गुलाब जामुन, सलाद फ्राईम्स अचार	300

08	27.02.203	नाश्ता प्रातः 7.30 से 8.30 बजे	आलू का कोफता, उपमा, चाय	300
09	27.02.203	समय 11.00 बजे	चाय एवं बिस्कुट	400
10.	27.02.2023	दोपहर का भोजन 1.00 बजे	मिक्स दाल, (दाल चना एवं उडद) मिक्स वेज सब्जी / रोटी, पुडी चावल मिठाई-खीर अचार फ्राईम्स सलाद	400
11	27.02.2023	अपराहन 4.00 बजे	चाय एवं बिस्कुट	400
12	27.02.2023	रात्रि का भोजन 8.00 बजे	मिक्स दाल (अरहर,चना,उडद,लाल) चावल रोटी, पुडी मिक्स वेज मावे की बर्फी / रस्सगुल्ला अचार सलाद फ्राईम्स	300
13	28.02.2023	नाश्ता प्रातः 7.30 से 8.30 बजे	पोहा जलेबी ब्रेड पकोडा चाय	300
14	28.02.2023	समय 11.00 बजे	चाय एवं बिस्कुट	400
15	28.02.2022	दोपहर का भोजन 1.00 बजे	दाल कडी-खाटा बाटी - सादा बाटी-मसाला चूरमा- सादा गेहूँ चूरमा - बेसन चावल, पापड, मिर्ची टपोरे,नींबू	400
16	28.02.2022	अपराहन 4.00 बजे	चाय एवं बिस्कुट	400
17	28.02.2023	रात्रि का भोजन 7.00 बजे	चावल - मीठे चावल - नमकीन गटटे की सब्जी, दाल रायता रोटी, पूडी सलाद अचार फ्राईम्स	250
18	01.03.2023	नाश्ता प्रातः 7.30 से 8.30 बजे	ब्रेड पकोडा एवं चाय	150
19	01.03.2023	पैकेट 8.00 बजे	आलू टमाटर की सब्जी पूडी 8 नग प्रति पैकेट मय अचार	200

(1) उपरोक्त भोजन में प्याज एवं लहसुन का उपयोग नहीं किया जायेगा । भोजन स्वच्छ एवं उच्च गुणवत्ता का होना चाहिए । भोजन अधिक मसालेदार नहीं होना चाहिए ।

(2) नाश्ता भोजन आदि निर्धारित संख्या से 10 प्रतिशत तक की वृद्धि होने पर उसका भुगतान कूपर प्रस्तुत करने पर कर दिया जायेगा । भोजन की व्यवस्था 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि संभव होने पर उसकी सूचना पूर्व में दे दी जायेगी

हस्ताक्षर एवं सील

